



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./20 /21 - 17

राँची/दिनांक: 23/03/2021

राज्य के अभियंत्रण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष-2021-22 में नामांकन JEE(Main)-2021 परीक्षाफल से किये जाने से संबंधित सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

पर्षद द्वारा एतद् प्रेस विज्ञप्ति से राज्य के छात्रों/छात्राओं/अभिभावकों/संबंधित संस्थानों को सूचित किया जा रहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची के अन्तर्गत विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में नामांकन National Testing Agency (NTA) द्वारा आयोजित Joint Entrance Examination (Main)-2021 परीक्षाफल के आधार पर तैयार की जानेवाली अंतिम राज्य मेधा-सूची से अभ्यर्थियों के मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर online साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।

2. नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थानों में नामांकन के समय भौतिक विज्ञान, गणित एवं रसायन विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/जीव-विज्ञान/तकनीकी व्यवसायिक विषय में समेकित रूप से 45 % प्राप्तांक (आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए 40 %) के साथ इन्टरमीडिएट विज्ञान/10+2 (विज्ञान) परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं औपबंधिक/मूल उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (उक्त अहर्ता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षणिक वर्ष-2020-21 के आधार पर है। यदि शैक्षणिक वर्ष-2021-22 में अहर्ता में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो पर्षद द्वारा तदनुसार परिवर्तन किया जायेगा) के अतिरिक्त स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0-3198 दिनांक-18.04.2016 द्वारा जारी संकल्प ("झारखण्ड के स्थानीय निवासी" कि परिभाषा एवं पहचान) के आलोक में अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

3. नामांकन की अनुशंसा आरक्षित कोटि के अन्तर्गत किये जाने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त कंडिका - 2 के अतिरिक्त जाति प्रमाण-पत्र जो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-14/जा0 नि0-03-13/2015/का0-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा जारी पत्र (जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में) के आलोक में अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

4. नामांकन की अनुशंसा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग (E.W.S.) कोटि के अन्तर्गत किये जाने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त कंडिका - 2 के अतिरिक्त आय और परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र जो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक- पत्रांक-14/आ0 नी0-04-02/2019 का0-1434 दिनांक-15.02.2019 द्वारा जारी संकल्प (राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान) के आलोक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता/ सहायक दण्डाधिकारी /अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत हो, जमा करना अनिवार्य होगा।


5. नामांकन की अनुशंसा दिव्यांग कोटा (D.Q.) के लिए आरक्षित सीटों में किये जाने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त कंडिका - 2 के अतिरिक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र जो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक- पत्रांक-14/आ0 नी0-04-05/2016 का0-2249/राँची दिनांक-03.04.2018 द्वारा जारी संकल्प निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 { (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण} के आलोक में चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

6. नामांकन की अनुशंसा Tuition Fee Waiver (T.F.W.) योजना के अन्तर्गत आरक्षित सीटों में किये जाने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त कंडिका - 2 के अतिरिक्त आय प्रमाण-पत्र जो कि राज्य के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता/ सहायक दण्डाधिकारी /अंचल अधिकारी द्वारा अधिकतम रू0-8 लाख (आठ लाख) तक का निर्गत हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

7. नामांकन की अनुशंसा Service Men Quota (S.M.Q.) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों में किये जाने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त कंडिका-2 के अतिरिक्त सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक पर्षद (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये) जमा करना अनिवार्य होगा।

सुलभ प्रसंग हेतु उपरोक्त कंडिकाओं में अंकित प्रमाण-पत्रों के विहित प्रारूप तथा उससे संबंधित पत्र या संकल्प, पर्षद के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Act & Circulars या Downloads कॉलम में देखा जा सकता है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन एवं साक्षात्कार इत्यादि से संबंधित अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए छात्रों/छात्राओं/अभिभावकों/संबंधित संस्थानों को एतद् द्वारा सलाह दिया जाता है कि वे पर्षद के वेबसाइट के सम्पर्क में लगातार बने रहें।

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से


(रंजीता हेम्ब्रम, झा0प्र0से0)
उप परीक्षा नियंत्रक